<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टीए/5541/2016/बीकानेर</u>

1- गोपीराम पुत्र धनाराम जाति विश्नोई निवासी घट्टू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

............अपीलार्थी

बनाम

1- मनीराम पुत्र राजूराम जाति खाती निवासी घट्टू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2- भानीराम पुत्र छगनाराम जाति ब्राहम्ण निवासी नोखा जिला बीकानेर।
3- जगन्नाथ पुत्र छगनाराम जाति ब्राहम्ण निवासी हाल आबाद करमीसर रोड़ मुरलीधर व्यास कोलोनी जिला बीकानेर।
4- अर्जनराम पुत्र छगनाराम निवासी नोखा हाल आबाद गोपाफडा आसाम।

.... प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड-पीठ</u>
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>
श्री राकेश अरोड़ा, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री शशिकांत जोशी, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

दिनांकः 18/10/23

<u>निर्णय</u>

1. हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 37/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-7-2016 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने विवादित आराजी बाबत् एक राजस्व वाद राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 91, 188 व 92 के अंतर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी नोखा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही अणखीसर तहसील नोखा के खेत खसरा नं. 515, 516 व 517 तादादी 14.72 है0 अपीलार्थी वादी के पुश्तैनी तौर पर सुरजन एवं पिता धन्नाराम के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा बंदोबस्त के समय से ही अपीलार्थी के दादा के नाम बतौर काश्तकार दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा अपनी मोरूसी भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होने पर वे उपस्थित आये और एक प्रार्थना पत्र दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। उपखंड अधिकारी, नोखा ने उभय पक्ष को सुन कर उक्त आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 6-5-2016 द्वारा वादी अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होनें अपने निर्णय दिनांक 11-7-2016 द्वारा अपील को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गई है।

3. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दर्ज होने के बाद वादपत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के आधार पर सारांशतः खारिज करना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। विवादित आराजी पैतृक होने के कारण वादी अपीलार्थी को प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के खिलाफ घोषणात्मक का दावा लाने का अधिकार था। वाद में वादकरण स्पष्ट रूप से अंकित किये गये थे। वादकारण तथ्यों पर आधारित होता है, जो साक्ष्य से ही साबित किये जा सकते थे। विचारण न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करके प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर वादी अपीलार्थी का वाद खारिज करने में कानूनी भूल की है। परीक्षण न्यायालय को इस वाद का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये था। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपील का निस्तारण करते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि जहां

पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण जवाबदावा साक्ष्य लेकर व तनकीवार किया जाना हो, वहां आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर वादपत्र को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज नहीं किया जाना चाहिये। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि विधि विरूद्ध तरीके से की गई है। इन तर्कों के साथ विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि अपील को स्वीकार करके दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाये तथा अपने पक्ष समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट–I पेज 776 व आरबीजे 2016 पेज 553 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. अपील का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण का कथन है कि वर्तमान वाद वादीगण द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद कारण डिसक्लोज नहीं होने के आधार पर प्रत्यर्थीगण द्वारा विधि में उपलब्ध उपचार अर्थात् आर्देश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज करने की मांग किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर की वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा अपीलार्थी वादी द्वारा लंबे समय तक अपने अधिकारों की घोषणा के लिये कोई चाराजोही नहीं की गई है। अपीलार्थी वादी का वाद bogous litigation एवं abuse of the process of the court मानते हुए वादकारण हासिल नहीं होने के कारण अपीलार्थी वादी का वाद विधिसम्मत् तरीके से खारिज किया गया व जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर वादपत्र खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय को उचित माना है। ऐसे समवर्ती निर्णय में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

5. उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी वादीगण द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष एक घोषणा,

शाश्वत् व्यादेश एवं रेकार्ड दुरूस्ती बाबत् एक वाद पेश किया गया है। उक्त वाद की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया गया कि विचाराधीन भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 बतौर खातेदार काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के पिता बतौर खातेदार संवत् 2010 से काबिज चले आ रहे हैं। वादपत्र में अंकित तथ्यों से वादी को घोषणात्मक वाद का कोई वादकारण हासिल नहीं होता है, ना ही कोई कारण वादपत्र से disclose होता है तथा वादपत्र में अंकित तथ्यों से वादी का वाद barred by law है। इस प्रकार इन आधारों पर प्रतिवादी जगन्नाथ द्वारा वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबंध के तहत् खारिज किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 6-5-2016 द्वारा वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबंध के तहत् वादकारण हासिल नहीं होने एवं bogous litigation की श्रेणी में आने से abuse of the process of the court की श्रेणी में आने के कारण वादी का वादपत्र खारिज किया गया है।

7. वादी के वादपत्र का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि वादपत्र के पैरा संख्या-2 में वादी ने सार रूप में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के सवंत् 2004 से उनके दादा सुरजन पुत्र बीझाराम काश्तकार रहे है। जागीरदारी उन्मूलन के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत् काबिज काश्तकार सुरजन को प्रश्नगत आराजी का खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा सुरजन के फौत होने पर सुरजन के पुत्र व वादी के पिता के नाम इंतकाल संख्या 44/5.1.59 दर्ज कर दिया गया था। पैरा संख्या 3 में प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्से पाती हेतु काश्त पर दिया होना बताया गया है। वादपत्र के पैरा संख्या 5 में राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त करने के क्रम में पटवारी के माध्यम से यह जानकारी होना बताया गया है कि राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजी छगनाराम के नाम दर्ज है जो कि प्रतिवादी संख्या 3 के पिता है। वादपत्र की मद संख्या 12 में वाद हैतुक उत्पन्न होने के संबंध में अभिवचन किया गया है। इस प्रकार स्वयं वादपत्र के मद संख्या 12 से वादी को वाद हैतुक उत्पन्न होना स्पष्टतः

प्रकट होता है तथा वादपत्र के अवलोकन से किसी रूप में ऐसा प्रकट भी नहीं होता है कि उक्त वाद हैतुक स्वतः दोषपूर्ण हो। योग्य विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6-5-2016 में वादी के वाद को bogous litigation इस आधार पर माना है कि वादी ने लंबे समय तक अपने तथाकथित अधिकारों की घोषणा के लिये कोई चाराजोही नहीं की है तथा इसी आधार पर प्रस्तुत वाद को abuse of the process of the court माना है।

8. योग्य विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह माना है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं रहा है, किन्तु उल्लेखनीय है कि आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् कोई आदेश पारित करने हेतु केवल मात्र वादपत्र के अभिवचनों को देखना होता है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कोई वादपत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत् नामंजूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तभी साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य माने जायेंगे जब वादी को उन पर प्रतिपरीक्षा का यथोचित अवसर उपलब्ध हो चुका हो, जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है। आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् कोई वादपत्र तभी नामंजूर किया जा सकता है जब या तो वादपत्र से कोई वाद हैतुक प्रकट नहीं होता हो अथवा वादी द्वारा उल्लेखित वाद हैतुक स्वयं वाद पत्र से ही दोषपूर्ण प्रतीत होता हो, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर योग्य विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् वादी का वादपत्र नामंजूर किया है। प्रतिवादी द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, उनके संबंध में कोई निष्कर्ष प्रकरण में विवाद्यक विरचित किये जाकर उभय पक्षों की साक्ष्य लिये जाने के उपरांत ही दिया जा सकता था, जबकि योग्य विचारण न्यायालय ने वादपत्र में अंकित अभिवचनों से अन्यथा जाकर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर (जिन पर वादी को प्रतिपरीक्षा का कोई अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है) अपना निष्कर्ष देते हुए वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् नामंजूर किया है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत ***2016 आरबीजे (23)***

पेज 553, गोपाल बनाम मनोहर लाल में अवधारित किया है कि आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् कोई आदेश पारित करते वक्त न्यायालय वादपत्र के अभिवचनों की शुद्धता या अन्य allegations पर विचार करने हेतु सक्षम नहीं हैं तथा इस उपबंध के तहत् वादपत्र केवल तभी नामंजूर किया जा सकता है जब वादपत्र के अभिवचनों (उनमें कोई कमी या वृद्धि किये बिना) से ही यह प्रकट होता हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत ***आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट–I पेज 776, रामप्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता व अन्य*** में यह स्पष्टतः अवधारित किया है कि आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत् आवेदन विनिश्चित करते समय न्यायालय को वादपत्र समग्रता से पढ़ना होगा, केवल मात्र कुछ पंक्तियों के आधार पर न्यायालय वादपत्र नामंजूर नहीं कर सकता। उक्त प्रकरण में वाद परिसीमा विधि से वर्जित होने के आधार पर वादपत्र नामंजूर किया गया है, किन्तु उसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने सही नहीं माना है। उक्त दोनों न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होते हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता व संलग्न दस्तावेजों के माध्यम से जो प्रश्न उठाये हैं, उनका विनिश्चियन प्रकरण में विवाद्यक विरचित किये जाने के पश्चात् उभय पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही किया जा सकता है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के उपबंध के तहत् इन बिन्दुओं का विनिश्चियन नहीं किया जा सकता है।

10. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने आक्षेपित आदेश दिनांक 6–5–2016 पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की है एवं इसी प्रकार योग्य प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 11–7–2016 भी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में उपबंधित विधि की मंशा के अनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने तथा प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

11. परिणामतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का आदेश दिनांक 6-5-2016 एवं प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 11-7-2016 अपास्त किये जाकर प्रकरण योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा को प्रश्नगत वाद में विवाद्यक विरचित किये जाने के उपरांत एवं उभय पक्षों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् विधिनुसार निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष दिनांक 9-11-2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाकर, पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य